अध्याय १५

सफाई व्यवस्था

सड़क की सफाई तथा स्वच्छता

३८५. मुख्य नगर अधिकारी द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा–करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था—समस्त सड़कों और भू–गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता (scavenging and cleansing) के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :–

(१) शहर की सभी सड़कों की सफाई (Surface cleansing) और उन पर ढेर किये गये कूड़े–करकट को हटाना ;

(२) निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लिए उचित और सुविधाजनक स्थानों (situations) में, सार्वजनिक पात्रों (public receptacles), संग्रहागारों (depots) और जगहों (places) की व्यवस्था या निर्धारण—

(क) धूल, राख, कूड़ा–करकट तथा गन्दगी,

(ख) व्यापारिक कूड़ा–करकट,

(ग) मृत पशुओं के शव,

(घ) मलमूत्र और दूषित वस्तुएँ।

(३) समस्त पात्रों (receptacles) तथा संग्रहागारों (depots) के भीतर की वस्तुओं (contents), और धूल, राख, कूड़ा–करकट, गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा–करकट, मृत पशुओं के शव और मल–मूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को स्थायी रूप से जमा करने के लिए, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं का हटाना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित कूड़े–करकट आदि का अन्तिम रूप से निस्तारण [ख१][निगम] या राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य विशेष निदेशों के अधीन होगा।

३८६. गैर–सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़े–करकट आदि के निस्तारण का विनियमन—(१) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी–समिति की पूर्व स्वीकृति से सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो नियमों में विहित रीति से दिया जायगा, ऐसे समय, ऐसे रीति और शर्तों आदि के सम्बन्ध में, जिनके अनुसार या जिनके अधीन धारा ३८५ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट कूड़ा–करकट आदि सड़क पर से हटाया, वहाँ जमा किया या अन्यथा निस्तारण किया जा सकता है, आदेश जारी कर सकता है।

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि निजी तौर पर सफाई करते समय मेहतरों (scavengers) द्वारा जमा किया गया ऐसा सारा कूड़ा–करकट, जो धारा ३८५ की उपधारा (२) में उल्लिखित है, उक्त खंड के अधीन व्यवस्थित या निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा किया जायगा।

(३) जब उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, तो कोई भी व्यक्ति धारा ३८५ की उपधारा (२) के निर्दिष्ट कूड़े–करकट, आदि को ऐसे आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क पर से न हटायेगा, न जमा करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसका निस्तारण ही करेगा।

३८७. कूड़ा–करकट आदि ख्[२]·[निगम] की सम्पत्ति होगी–धारा ३८५ के अधीन व्यवस्थित अथवा निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहालयों और स्थानों में जमा सभी चीजें (matter) और उक्त धारा ३८६ के अनुसार [१][निगम] कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की गयी सभी चीजें [१][निगम] की सम्पत्ति होंगी।

३८८. मुख्य नगराधिकारी मल–मूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकता है–(१) मुख्य नगराधिकारी अपने इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि वह नगर के किसी ऐसे भाग में, जिसे वह निर्दिष्ट करे, संडासों (privies), मूत्रालयों तथा मलकूपों (cesspools) से सभी मल–मूत्र और दूषित वस्तुओं को किसी [१][निगम] अभिकरण द्वारा इकट्ठा कराने, हटाने और निस्तारण करने के निमित्त व्यवस्था करना चाहता है और ऐसा करने पर मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के उक्त भाग में स्थित सभी भू–गृहादि से उक्त वस्तुओं के प्रतिदिन इकट्ठा करने, हटाने और निस्तारण की व्यवस्था करे।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी भाग में और किन्हीं भू–गृहादि में वे चाहे जहां भी स्थिति हों, जहाँ किसी [१][निगम] नाली से जुड़ा हुआ (connected) कोई नाबदान (water closet) अथवा संडास हो किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से नियोजित न किया गया हो, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, वह वैध (lawful) न होगा कि वह मेहतरों के किन्हीं कर्त्तव्यों का निर्वहन करे।

३८९. कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध–(१) मुख्य नगराधिकारी किसी मन्दिर, मठ, मस्जिद, कब्र, अथवा धार्मिक उपासना या धर्मोपदेश अथवा मनोरंजन के किसी स्थान जहाँ विशेष अवसरों पर अधिक संख्या में जनता एकत्र होती हो आस–पास अथवा किसी ऐसे स्थान में जो मेलों, त्योहारों अथवा सार्वजनिक समारोहों अथवा आयोजनों के निमित्त होता हो, सफाई बनाये रखने के निमित्त ऐसे विशेष प्रबन्ध कर सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझे।

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नियंत्रण में उपर्युक्त कोई स्थान हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उपधारा (१) के अधीन किए गए विशेष कार्यों पर हुए व्यय का वह अंश (contribution) [१][निगम] को अदा करे, जिसे कार्यकारिणी–समिति समय–समय पर निश्चित करे, और ऐसा व्यक्ति उस स्थान से सम्बद्ध निधियों में से उक्त अंश अदा करने के लिए बाध्य होगा।

भू–गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन

३९०. सफाई के प्रयोजन से भू–गृहादि के निरीक्षण का अधिकार–(१) मुख्य नगराधिकारी किसी भी भवन अथवा दूसरे भू–गृहादि की सफाई की दशा जानने के प्रयोजन से उनका निरीक्षण कर सकता है।

(२) यदि सफाई बनाये रखने के लिए मुख्य नगराधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उस भवन या उसके किसी भाग को चूने द्वारा सफाई कराने, वहाँ कीटाणुनाशक द्रव का छिड़काव कराने (disinfect) अथवा अन्य प्रकार से उसे साफ कराने के आदेश दे सकता है।

३९१. मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे–(१) यदि मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि कोई भवन या भवन का कोई भाग, जो निवास के लिए अभिप्रेत हो अथवा प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य है तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और जब तक उसकी राय में अध्यासी के लिए तात्कालिक खतरा (imminent danger) न हो, ऐसे भवन के स्वामी या अध्यासी को कारण बताने का निहित रीति से अवसर देने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा उक्त

भवन या उसके भाग के रहने के प्रयोजनार्थ उस समय तक उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकता है जब तक वह निवास के योग्य न बना दिया जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पदावलि ''मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य'' से तात्पर्य है स्वच्छता की त्रुटि, के कारण अर्थात् वायु के लिए स्थान अथवा संवीजन स्थान का अभाव, अँधेरा, सीलन, समुचित तथा शीघ्र प्राप्य जल या स्वच्छावास (sanitary accommodation) या अन्य विधाओं के अभाव तथा आँगन या मार्गों में जल–निस्सारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य।

(२) जब उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई आज्ञा दे दी गयी हो तो भवन का स्वामी अथवा अध्यासी उस भवन को मनुष्यों के रहने के लिए तब तक प्रयुक्त नहीं करेगा, और न करने देगा, जब तक मुख्य नगराधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि वह भवन रहने के योग्य हो गया है।

(३) जब मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (१) के अधीन कोई आज्ञा दी है तो वह भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित रूप में ऐसे अनुदेश (instructions) देगा कि भवन अथवा भवन के भाग को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के निमित्त कौन–कौन से सुधार अथवा परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है।

(४) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) का उल्लंघन करके किसी भवन अथवा कमरे को प्रयुक्त करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस के किसी पदाधिकारी अथवा [ख३][निगम] के किसी कर्मचारी द्वारा उस भवन अथवा कमरे से निकलवा सकता है।

(५) धारा ३३४ की उपधारा (४) और (६) के उपबन्ध, मुख्य नगराधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र पर कि यथास्थिति भवन अथवा भवन का भाग मनुष्यों के रहने के योग्य हो गया है, उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा प्रमाण–पत्र उपर्युक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये नोटिस का वापस लेना (withdrawal) हो।

३६२. अस्वास्थ्यकर भवनों को मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार—(१) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि रहने के लिए अभिप्रेत अथवा प्रयुक्त कोई भवन किसी प्रकार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कारण बताये कि उस भवन में ऐसे कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे परिवर्तन करने की आज्ञा क्यों दी जाय कि वह मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय।

(२) इस धारा के अधीन भवन के स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ ही मुख्य नगराधिकारी उस नोटिस की एक प्रतिलिपि किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील कर सकता है जो उक्त भवन में या उस भूमि में जिस पर यह भवन निर्मित किया गया हो, चाहे बन्धकी (mortgage), पट्टेदार (lessee) अथवा अन्य किसी रूप में कोई स्वत्व (interest) रखता हो।

(३) यदि उपधारा (२) में निर्दिष्ट स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति कोई आपत्ति प्रस्तुत न करे अथवा आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उस भवन को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने के लिये उसमें निर्माण कार्यों का सम्पादन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा भवन के स्वामी को यह आदेश देगा कि वह २१ दिन से अन्यून किसी ऐसी उचित अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, उक्त कार्य का सम्पादन अथवा उक्त परिवर्तन करे।

(४) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी आवास को मनुष्यों के रहने के अयोग्य दशा में बनाये रखने से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले आसन्न संकट की रोक के प्रयोजनों के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उपधारा (१) के अधीन नोटिस जारी करने का परित्याग कर सकता है, तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट नोटिस तत्काल जारी कर सकता है और उसकी एक प्रति उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है।

३६३. अस्वास्थ्यकर भवनों के गिरवाने की आज्ञा देने का अधिकार—(१) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन जो रहने के लिए अभिप्रेत हो अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है, और उचित व्यय करने के बाद भी उसे रहने के योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो वह भवन के अध्यासी और भवन के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उस दिनांक को, जो नोटिस तामील होने के बाद २१ दिन से अन्यून होगा और उस स्थान को उल्लिखित कर दिया जायगा जहाँ कार्यकारिणी समिति द्वारा भवन की दशा और निर्माण–कार्य के सम्पादन के विषय में प्रस्ताव (offer) अथवा भवन के भावी उपयोग के संबंध में विचार किया जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उक्त नोटिस दिया गया होगा, मामले पर विचार होने के समय अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (२) के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस तामील होने के दिनांक से २१ दिन के भीतर कार्य के सम्पादन के संबंध में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो, तो वह प्रस्ताव (offer) प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी पर तामील करेगा और ऐसी उचित अवधि के भीतर जो मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे, वह उन निर्माण–कार्यों की एक विवरण–सूची उसके समक्ष रखेगा जिन्हें वह सम्पन्न करना चाहता है।

(३) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भवन के स्वामी या उसमें स्वत्व र खने वाले (interested) किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का वचन (undertaking) ले सकता है, कि या तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें ऐसे निर्माण–कार्य करवायेगा, जिनसे वह भवन मुख्य नगराधिकारी की राय में मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय या वह भवन मनुष्यों के रहने के लिए तब तक उपयोग में नहीं लाया जायगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि वह भवन रहने के योग्य हो गया और जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से उक्त वचन को रद्द न कर दे।

(४) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (३) में उल्लिखित वचन स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि किसी मामले में मुख्य नगराधिकारी ने उक्त वचन स्वीकार कर लिया हो किन्तु उस वचन से संबद्ध निर्माण–कार्य निर्दिष्ट अवधि में न किये गये हों अथवा यदि किसी समय भवन वचन की शर्तों के प्रतिकूल उपयोग में लाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से भवन को गिरवाने के निमित्त आज्ञा दे सकता है जिसमें यह आदेश भी होगा कि भवन को आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के प्रभावी (operative) होने के दिनांक से २८ दिन से कम न होगी, खाली कर दिया जायगा और उतनी अतिरिक्त (further) अवधि के भीतर गिरवा दिया जाएगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे। मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया था।

(५) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति अथवा उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भवन को आसन्न संकट से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायगा तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से यथाशक्य उस रीति से जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गयी है, किन्तु आज्ञा का पालन करने की कम से कम अवधि घटा कर ७ दिन करते हुए उक्त भवन को गिरवाने की आज्ञा दे सकता है।

३६४. भवन गिराने की आज्ञा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया—(१) धारा ३६३ के अधीन भवन गिराने की आज्ञा प्रभावी (operative) होने पर उस भवन का स्वामी आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट अवधि में भवन को गिरवा देगा और यदि भवन निर्दिष्ट समय के भीतर न गिराया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवाने और उसके मलबे (materials) को बेचे देने की व्यवस्था कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय, मलबा बेचने से वसूल हुये रुपए का संधान करने के पश्चात् भवन के स्वामी द्वारा देय होंगे और व्यय चुकाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी अपने पास बचे हुए शेष धन को भवन के स्वामी को वापस करेगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से क्षुब्ध हो, १ महीने की अवधि के भीतर जज को अपील कर सकता है।

३६५. भवन गिराने की आज्ञा के विरुद्ध अपील—कोई व्यक्ति जो—

(१) धारा ३६१ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से ; अथवा

(२) धारा ३६२ की उपधारा (३) अथवा उपधारा (४) के अधीन दी गयी आज्ञा से ; अथवा

(३) भवन गिराने के सम्बन्ध में धारा ३६३ के अधीन दी गयी आज्ञा, किन्तु जो उस धारा की उपधारा (५) के अधीन दी गयी आज्ञा न हो ;

से क्षुब्ध हो तो वह आज्ञा की प्रतिलिपि तामील होने के दिनांक के पश्चात् २१ दिन के भीतर न्यायाधीश (Judge) को अपील कर सकता है और तब तक उस अपील का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा को जिसके सम्बन्ध में अपील की गई है, कार्यान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

पशुओं की लाशों का निस्तारण

३६६. पशुओं के शवों का निस्तारण—(१) मुख्य नगराधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के भीतर मरे हुए सभी पशुओं के शवों को हटाने की व्यवस्था करे।

(२) किसी भू–गृहादि जिसमें अथवा जिस पर कोई जानवर मरे अथवा जिसमें अथवा जिस पर किसी जानवर का शव पाया जायगा, का अध्यासी और वह व्यक्ति, जो किसी ऐसे पशु का अवधायक (having the charge) हो जो किसी सड़क पर अथवा किसी खुले स्थान पर मरता है, उस जानवर के मरने के पश्चात् तीन घंटे के भीतर अथवा यदि वह पशु रात में मरता है तो सूर्योदय के पश्चात् ३ घंटे के भीतर, उसके मरने की रिपोर्ट निकटतम [ख४][निगम] के स्वास्थ्य विभाग को करेगा।

(३) [१][निगम] अधिकरण द्वारा हटाये गये प्रत्येक शव को, चाहे वे किसी निजी भू–गृहादि से हटाया जाय या किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान से, हटाने के निमित्त पशु के स्वामी को अथवा यदि स्वामी अज्ञात हो तो उस भू–गृहादि के अध्यासी को, जिसमें अथवा जिस पर उक्त जानवर मरा हो या उस व्यक्ति को जिसके अवधायन में उक्त पशु मरा हो, ऐसा शुल्क देना होगा जो मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

३६७. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती–बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिंचाई का निषेध—यदि [१][चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी] या नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करे कि किसी निर्दिष्ट रीति से फसलों की किसी प्रकार की खेती–बाड़ी अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग या किसी भूमि की सिंचाई—

(क) जो नगर की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती हो, हानिकारक है या उससे ऐसी प्रक्रियाएं उद्भूत होती हों जो पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है ; अथवा

(ख) जो उक्त नगर की सीमाओं के भीतर अथवा बाहर स्थित किसी स्थान में की जाती है, से ऐसे नगर के जल सम्भरण (water supply) के दूषित हो जाने अथवा अन्यथा पीने के प्रयोजनों के लिए जल के अनुपयुक्त (unfit) हो जाने की सम्भावना है ;

तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती—बाड़ी, उक्त खादों का उपयोग अथवा सिंचाई के उक्त साधनों के प्रयोग जो हानिकारक कहे जाते हों, का प्रतिषेध कर सकता है अथवा उनके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जो उक्त हानि अथवा दूषण (contamination) को रोके :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी भूमि पर जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका हो, प्रतिषिद्ध कार्य प्रतिषेध के दिनांक से निरन्तर ५ वर्ष पूर्व तक साधारणतः खेती—बाड़ी के दौरान में किया जाता रहा हो तो उस भूमि में स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त प्रतिषेध द्वारा क्षति पहुँचेगी, [ख५][निगम] निधि में से प्रतिकर दिया जायगा।

३९८. हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार—मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी वनस्पति या झाड़ी, आदि (undergrowth) को साफ करने या हटाने के आदेश दे सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर या पड़ोसियों के लिए कष्टदायक हो।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई, आदि का विनियमन

३९९. सार्वजनिक स्नान, आदि के स्थान मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किये जायेंगे और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन—(१) मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय—समय पर—

(क) जनता के लिए स्नान करने, पशुओं को धोने अथवा कपड़े धोने या सुखाने के प्रयोजनार्थ किसी नदी के भागों को या अन्य उपयुक्त स्थानों को, जो [१][निगम] में निहित हों, अलग कर देगा ;

(ख) ऐसे समय निर्दिष्ट करेगा जब उन स्थानों का उपयोग किया जाएगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि वे स्थान स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे अथवा पुरुषों द्वारा ;

(ग) जनता द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध करेगा जो उन प्रयोजनों के लिए अलग न कर दिया गया हो ;

(घ) उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए जनता द्वारा नदी के किसी भी भाग के अथवा ऐसे स्थान के, जो [१][निगम] में निहित न हों, उपयोग का प्रतिषेध करेगा ;

(ङ) नदी के किसी भाग अथवा किसी अन्य स्थान को, जो [१][निगम] में निहित हो तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिए अलग कर दिया गया हो, जनता द्वारा उपयोग विनियमित करेगा ; और

(च) जनता द्वारा उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए नदी के किसी भाग या अन्य किसी स्थान को, जो [१][निगम] में निहित न हो तथा किसी निर्माण कार्य और किसी निर्माण—कार्य के जल को इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट (assigned) तथा अलग कर दिया गया हो (set apart) प्रयोग विनियमित कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन अलग किये गये किसी स्थान के किसी निर्दिष्ट (specified) वर्ग अथवा वर्गों के व्यक्तियों द्वारा या सामान्य जनता द्वारा प्रयोग के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसा शुल्क ले सकता है, जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करे।

४००. आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध—सिवाय जैसा कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा में अनुमति हो, कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएँ या नदी के किसी भाग में अथवा [ख्६,][निगम] में निहित किसी अन्य स्थल में न नहायेगा;

(ख) किसी तालाब, जलाशय, सोते, कुएँ अथवा खाईं में कोई ऐसा पशु, वनस्पति (vegetable) या खनिज–पदार्थ (material matter) न डालेगा जिससे उसका जल दूषित अथवा स्वास्थ्य के लिए भयप्रद (dangerous) हो जाय ;

(ग) किसी संक्रामक संसर्गजन्य अथवा घृणित रोग से ग्रस्त अथवा में किसी स्नान के प्लेटफार्म, झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुंड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएँ पर उसमें या उसके पास नहीं नहायेगा ;

(घ) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य में या उसके पास कोई पशु, वस्त्र या अन्य वस्तुएँ न धोयेगा और न धुलवायेगा ;

(ङ) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को न फेंकेगा, न वहाँ रखेगा और न प्रविष्ट होने देगा ;

(च) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य में या पर, न कोई वस्तु प्रवाहित करायेगा, न कराने देगा और न उसमें या उन पर कार्य करायेगा न कराने देगा, जिससे किसी भी अंश में जल गंदा या दूषित हो जाय ;

(छ) उक्त किसी स्थान में, या पर, कपड़े नहीं सुखायेगा ;

(ज) मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा ३६६ के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हुये नदी के किसी भाग को अथवा किसी स्थान को, जो [१][निगम] में निहित न हो, उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लायेगा ;

(झ) मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा ३६६ के अधीन पूर्वोक्त किसी प्रयोजन के लिये नदी के उक्त किसी भाग अथवा स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में दिये गये किसी नोटिस के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

फैक्ट्रियों, व्यापारियों, इत्यादि का विनियमन

४०१. बिना मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के नयी फैक्ट्री, इत्यादि स्थापित न की जायेगी—मुख्य नगराधिकारी की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री, कारखाना या कार्य–स्थान, जिसमें भाप, पानी, बिजली या किसी अन्य यन्त्र–चालित शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत हो या नानबाई की दुकान—

(१) किसी भू–गृहादि में नये सिरे से स्थापित न करेगा ;

(२) एक स्थान से दूसरे स्थान को न हटायेगा ;

(३) तीन साल से अन्यून किसी अवधि तक बन्द रखने के पश्चात् न फिर से खोलेगा और न उसका नवीकरण करेगा ; या

(४) का क्षेत्र या उनकी सीमाओं को न बढ़ायेगा न विस्तृत करेगा ;

और न कोई व्यक्ति ऐसी किसी फैक्टरी, कारखाने, कार्यस्थान या नानबाई की दूकान को बिना उक्त अनुज्ञा के चलायेगा या चलाने देगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्द रहने की अवधि में उस स्थान से, जहाँ आरम्भ में कोई फैक्टरी, कारखाना, कार्यस्थान अथवा नानबाई की दूकान स्थापित की गयी थी, मशीनें आदि न हटायी गई हों तो खंड (३) के प्रयोजनों के निमित्त ऐसी किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी।

४०२. रासायनिक द्रव्यों, आदि द्वारा जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध—धारा ४३ या नियमावली में निर्दिष्ट किसी व्यापार या उत्पादन (manufacture) में संलग्न कोई व्यक्ति—

(क) [ख७][निगम] की किसी झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुआँ, प्रणाली या अन्य जल स्थान के या उनसे संचरित (communicating) किसी नाली या पाइप में जानबूझकर उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन के दौरान में उद्भूत (product) किसी धोवन (washing) या अन्य पदार्थ को न प्रवाहित करवायेगा और न ऐसा करने देगा ;

(ख) उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन से सम्बद्ध कोई ऐसा कार्य जानबूझ कर न करेगा जिससे उक्त झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुआँ या प्रणाली या अन्य जलस्थान का जल खराब, दूषित या गन्दा हो जाय।

४०३. निजी जल प्रणाली, इत्यादि की सफाई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी किसी निजी जल–प्रणाली (water course), सोतों (spring), तालाब, कुएँ या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उसे मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखे और समय–समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा–करकट या सड़ी–गली (decaying) वनस्पति हटा कर उसकी सफाई करे तथा उसे दूषित होने से इस रीति से बचाये, जिसे [१][निगम] उचित समझे।

(२) जब किसी ऐसी जल–प्रणाली, सोतों, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान का जल मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो गया हो तो वह उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस पानी के प्रयोग न करे और न दूसरों को उसका प्रयोग करने दे और यदि ऐसी नोटिस के पश्चात् कोई व्यक्ति उस पानी को पीने के काम में लाये तो मुख्य नगराधिकारी उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा उस कुएँ को स्थायी या अस्थायी रूप में बन्द करने की या ऐसी जल–प्रणाली, सोते, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ा बना देने (fence) की आज्ञा दे सकता है, जिसे वह आदिष्ट करे, ताकि उसका पानी इस प्रकार प्रयुक्त न हो सके।

४०४. फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थान के निमित्त शौचालय—मुख्य नगराधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार या स्कूल या प्रेक्षागृह या अन्य सार्वजनिक समागम–स्थान का स्वामी हो, उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह इतने शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे, जिन्हें वह उचित समझे, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और प्रतिदिन उनकी सफाई कराये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [ख८][फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८] द्वारा विनियमित फैक्ट्री पर इस धारा की कोई भी बात लागू न होगी।

४०५. तालाब, इत्यादि से होने वाले अपदूषणों को हटाने का आदेश देने का अधिकार—मुख्य नगराधिकारी किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह

किसी निजी कुएँ, तालाब या जलाशय, पोखरे (pools), गड्ढे या उतखात (excavation) को, जो मुख्य नगराधिकारी को स्वास्थ्य के निमित्त हानिप्रद या पास–पड़ोस वालों के लिये दोषकर प्रतीत हो, साफ कराये, उसकी मरम्मत कराये और उसे आच्छादित कराये (cover), भरवाये या उसकी जल–निकासी की व्यवस्था करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी इस धारा के अधीन आदेशित जल निकासी को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ ख्ख्[निगम] के व्यय से ऐसी जल–निकासी के लिये आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकता है।

भयानक रोगों का निवारण और उनकी रोकथाम

४०६. भयानक रोगों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी, इत्यादि के प्रकार—यदि किसी भयानक रोग से पीड़ित या ग्रस्त कोई व्यक्ति—

(क) किसी वाहन या सार्वजनिक स्थान पर लेटा हुआ पाया जाय ; या

(ख) बिना किसी उपयुक्त निवास या स्थान के हो ; या

(ग) किसी ऐसे कमरे या मकान में रहता हो, जिसका न वह स्वामी हो और न जिसके अध्यासन का अन्य रूप से ही उसे अधिकार हो ; या

(घ) ऐसे कमरे में या कक्षों के समूह में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हों और उनमें से कोई भी अध्यासी उसके रहने पर आपत्ति करे,

तो मुख्य नगराधिकारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जो असिस्टेन्ट सर्जन से न्यून न हो, उस रोगी को अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान में भिजवा सकता है, जहाँ ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के लिए प्रविष्ट किये जाते हों तथा उसको इस प्रकार हटाने के निमित्त कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

४०७. भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है—मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय, दिन में अथवा रात में, बिना नोटिस दिये या अपने निरीक्षण की इच्छा का ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो उसे यथास्थिति जान पड़े ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वहाँ भयंकर रोग व्याप्त है अथवा जहाँ ऐसे रोग के विद्यमान होने की आशंका हो और ऐसे उपाय कर सकता है जिन्हें वह उक्त रोग को उस स्थान से बाहर फैलने से रोकने के लिये उचित समझे।

४०८. भयानक रोगों की सूचना दी जायगी—प्रत्येक व्यक्ति—

(क) जो चिकित्सक (medical practitioner) हो तथा जिसे चिकित्सा के दौरान में यह ज्ञात हो कि नगर के सार्वजनिक अस्पताल से भिन्न किसी निवास–स्थान में कोई भयानक रोग विद्यमान है ; या

(ख) जो उस निवास–स्थान का स्वामी या अध्यासी हो, जिसे यह पता चले कि वहाँ कोई भयंकर रोग विद्यमान है, ऐसे चिकित्सक के चूक करने पर ;

(ग) जो ऐसे निवास–स्थान में उक्त भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति का अवधायक हो या उसकी परिचर्या करता हो और जिसे यह पता हो कि वहां भयानक रोग विद्यमान है, उक्त स्वामी या अध्यासी के चूक करने पर ;

ऐसे किसी पदाधिकारी को, जिसे मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उक्त रोग के सम्बन्ध में सूचना देगा।

४०६. वास–गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना–यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि कोई भी निवास–गृह या अन्य स्थान, जहाँ भोज्य और पेय पदार्थ बेचे या तैयार किये या बिक्री के लिये संग्रहीत या प्रदर्शित किये जाते हैं, ऐसा निवास–गृह या स्थान है, जहाँ भयानक रोग फैला है, या जहाँ हाल ही में फैल चुका है, और उस स्थान का बन्द किया जाना सार्वजनिक हित में होगा तो वह लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त स्थान आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक के लिये बन्द कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उक्त निवास–गृह अथवा स्थान विसंक्रमित (disinfected) कर दिया गया है या संक्रमण (infection) से मुक्त है तो उस स्थान के खोले जाने की घोषणा की जा सकती है।

४१०. भयानक रोगादि से ग्रस्त व्यक्ति कुछ प्रकार के कार्य न कर सकेंगे–कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी भयानक रोग या घृणित दुर्व्यवस्था (loathsome disorder) से ग्रस्त है, जब तक–

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा औषधि या भेषज बिक्री के लिये न तैयार करेगा और न प्रस्तुत करेगा ; या

(ख) यदि उक्त कोई पदार्थ, औषधि या भेषज दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये खुला रखा गया (exposed) हो तो उसे जानबूझ कर न छुयेगा ; या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें लाद कर ले जाने के किसी कारोबार में भाग न लेगा।

४११. किसी भयानक रोग के फैलने पर मुख्य नगराधिकारी विशेष उपाय कर सकता है–(१) यदि किसी समय नगर में कोई भयानक रोग फैले या उसके फैलने की आशंका हो या नगर में कोई संसर्गजन्य (infectious) रोग फैले अथवा उसके फैलने की आशंका हो तो मुख्य नगराधिकारी यदि वह समझता है कि इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बने नियमों के या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं हैं तो वह राज्य सरकार की स्वीकृति से–

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकता है ; तथा

(ख) सार्वजनिक नोटिस देकर जनता द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष वर्ग द्वारा अनुपालनार्थ ऐसी अस्थायी आज्ञाएँ विहित कर सकता है जो तत्सम्बन्धी किसी नियमावली में निर्दिष्ट हों तथा जिन्हें वह ऐसे रोग के आविर्भाव या प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक समझे।

(२) मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उपधारा (१) के अधीन अपने द्वारा किये गये किन्हीं आज्ञाओं का प्रतिवेदन [ख१०][निगम] को देगा।

मृतकों का निस्तारण

४१२. मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायगा–(१) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान का स्वामी है या ऐसा स्थान उसके नियंत्रण में है जो पहले से ही मृतकों को दफनाने, अग्निदाह या किसी अन्य विधि से निस्तारित करने के लिये प्रयुक्त होता रहा हो, तो वह नियत दिन से ६ महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी के पास उसकी रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना–पत्र देगा, और मुख्य नगराधिकारी उसकी रजिस्ट्री करायेगा।

(२) ऐसे प्रार्थना–पत्रों के साथ एक नक्शा (plan) भी होगा जिस पर अनुज्ञप्त भूमापक के इस बात के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर होंगे कि वह उसके द्वारा अथवा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है तथा उसमें पंजीकृत होने वाला स्थान, उसकी स्थिति, उसकी आयति (extent) और चौहद्दी (boundaries) दिखायी

जायगी। प्रार्थना–पत्र में स्वत्वधारी (interested) स्वामी या व्यक्ति या जाति का नाम तथा प्रबन्ध की पद्धति तथा अन्य ऐसे ब्योरे भी होंगे, जिनकी मुख्य नगराधिकारी अपेक्षा करे।

(३) ऐसे प्रार्थना–पत्र और नक्शे की प्राप्ति पर मुख्य नगराधिकारी उस स्थान को एक रजिस्टर में, जो इस प्रयोजन के निमित्त रखा जायगा, पंजीकृत करेगा।

(४) मुख्य नगराधिकारी पंजीयन के समय [ख११][निगम] के कार्यालय में उपधारा (२) में निर्दिष्ट नक्शा जमा करवा लेगा।

(५) यदि उस नक्शे से या उसके ब्योरे से मुख्य नगराधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह पंजीयन करने से इंकार कर सकता है या उसे ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि उसकी आपत्तियाँ दूर न कर दी जायँ।

(६) मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या अन्य किसी रीति से निस्तारित करने का प्रत्येक ऐसा स्थान, जो [१][निगम] में निहित हो, उपधारा (३) के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा तथा उस स्थान की स्थिति, आयति एवं सीमाओं का नक्शा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, महापालिका कार्यालय में जमा कर दिया जायगा।

४१३. मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मृतकों को निस्तारित करने के लिए नये स्थान न खोले जायेंगे—ऐसा कोई स्थान, जो विधितः मृतकों के निस्तारणार्थ पहले कभी भी प्रयुक्त न हुआ हो और न इस प्रकार पंजीकृत हुआ हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, जो [१][निगम] के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

४१४. मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था—(१) यदि किसी भी समय मृतकों के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा ४१५ के उपबन्धों के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी [१][निगम] के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

४१४. मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था—(१) यदि किसी भी समय मृताकें के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा ४१५ के उपबन्धों के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी [१][निगम] की स्वीकृति से नगर के भीतर अथवा बाहर उन प्रयोजनों के लिए अन्य उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था कर सकता है तथा उन्हें धारा ४१२ के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रत्येक स्थान के, जिसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई हो, पंजीयन के समय उसका एक नक्शा जिसमें उसकी स्थिति, आयति तथा सीमाएँ दिखाई गयी होंगी, [१][निगम] के कार्यालय में जमा करेगा।

(२) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के समस्त उपबन्ध ऐसे स्थान के संबंध में जिसकी उपधारा (१) के अधीन व्यवस्था की गई हो तथा जो नगर के बाहर स्थित हों, किन्तु [१][निगम] में निहित, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह स्थान नगर के भीतर स्थित हो।

४१५. मृतकों को दफनाने के स्थान बन्द किया जाना—(१) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् कभी भी मुख्य नगराधिकारी का यह मत है कि—

(क) सार्वजनिक उपासना का कोई स्थान अपने धरातल के नीचे या दीवालों के भीतर तहखानों (vaults) और कब्रों की दशा के कारण, या पास–पड़ोस में कोई कब्रिस्तान या दफनाने के स्थान केकारण जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है अथवा उसके हानिकर हो जाने की संभावना है ;

(ख) मृतकों के निस्तारण के लिए अन्य कोई स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो गया है या उसके हानिकर हो जाने की संभावना है ;

तो वह अपना इस आशय का निश्चित मत तथा उसके कारण ख९२[निगम] के समक्ष रखेगा और [१] [निगम] उसे और उसके संबंध में स्वयं अपना मत राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित मत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में तथा ऐसे पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जिसे वह आवश्यक समझे, यह आदेश दे सकती है कि सार्वजनिक उपासना का उक्त स्थान या अन्य स्थान भविष्य में मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

(३) उक्त किसी विज्ञप्ति के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति पर वह स्थान, जिससे वह विज्ञप्ति सम्बद्ध हो, मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त न किया जायगा।

(४) मृतकों के दफनाने के लिए अलग किया गया निजी स्थान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ आरोपित करे, उक्त किसी आदेश से मुक्त किया जा सकता है ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे स्थान की सीमाएँ पर्याप्त रूप से परिभाषित हों तथा वह स्थान केवल अपने स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाय।

४१६. मृतकों के दफनाने के स्थान को फिर से चालू किया जाना—(१) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि ऐसा कोई भी स्थान जो धारा ४१५ के उपबन्धों के अधीन बन्द कर दिया गया हो, समय बीतने के कारण अब स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं रह गया तथा अब बिना जोखिम अथवा भय के उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वह सकारण अपना मत [१][निगम] के पास प्रस्तुत करेगा और [१][निगम] अपने मत सहित उसे राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगा।

(२) ऐसे मत की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदेश दे सकती है कि उक्त स्थान मृतकों के निस्तारणार्थ पुनः चालू कर दिया जाय।

४१७. मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मुर्दे खोदे न जायेंगे तथा उपासना के स्थानों के भीतर दफनाये न जायेंगे—(१) कोई भी व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना—

[१][(क) किसी उपासना—स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग ड्योढ़ी (portico), कुर्सी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या मजार (internment) न बनायेगा] ;

(ख) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा ४१५ के अधीन मृतकों के लिए बन्द कर दिया गया हो, कोई मजार न बनायेगा अथवा किसी अन्य रीति से कोई शव निस्तारित न करेगा ;

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा ४१२ के अधीन एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा, न खोदेगा, न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा, अथवा किसी भी रीति से किसी शव को न तो निस्तारित करेगा और न निस्तारित होने देगा ;

(घ) सिवाय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १७६* के या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अधीन शवों के निस्तारण के किसी भी स्थान से शवों को नहीं खोदेगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसी सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार एतदर्थ समय—समय पर दे, विशेष दशाओं में उपर्युक्त प्रयोजनाओं में किसी के निमित्त अनुज्ञा दे सकता है।

४१८. मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिषिद्ध कार्य—कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी शव को मृत्यु की इतनी देर बार तक कि वह अपदूषण का कारण बन जाय बिना अग्निदाह किये हुए, गाड़े हुए या अन्य किसी रीति से विधितः निस्तारित किये हुए किसी भू–गृहादि में रोक न रखेगा ;

(ख) किसी शव या शव के भाग को बिना अच्छी तरह से ढके हुए या संक्रमण का जोखिम अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि को रोकने के लिए बिना ऐसे पूर्वावधान के, जिनकी मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, किसी भी मार्ग पर न ले जायगा ;

(ग) सिवाय ऐसी दशा में जब दूसरा मार्ग उपलब्ध न हो, किसी भी शव या शव के भाग को उस मार्ग से न ले जायगा, जिस पर शवों का ले जाना मुख्य नगराधिकारी ने एतदर्थ दिये गये किसी सार्वजनिक नोटिस द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया हो ;

(घ) किसी भी ऐसे शव अथवा ऐसे शव के भाग को, जिसे चीर–फाड़ (dissection) के प्रयोजनार्थ र खा गया हो या प्रयुक्त किया गया हो, बिना किसी बन्द पात्र (receptaele) या वाहन में रखे हुए न हटायेगा ;

(ङ) किसी शव या शव के भाग को ले जाते समय उसे बिना किसी अत्यावश्यक प्रयोजन के किसी सड़क पर या उसके निकट न रखेगा और न छोड़ेगा ;

(च) किसी शव या शव के भाग को किसी कब्र या तहखाने में या अन्यत्र किसी रीति से न तो दफनायेगा और न दफनाने देगा, जिससे दफन की ऊपरी सतह या, यदि दफन न प्रयुक्त किया गया हो, तो शव का भाग भूमि के धरातल से ६ फुट से कम की गहराई में रहे ;

(छ) किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र या तहखाने को किसी दूसरी कब्र या तहखाने के पार्श्व के २ फुट से कम की दूरी न तो निर्मित करेगा, न खोदेगा और न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा ;

(ज) किसी कब्रिस्तान में किसी पंक्ति में, जो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधीन इस प्रयोजन के निमित्त अंकित (marked) न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करायेगा, और न खोदेगा, और न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा ;

(झ) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी शव या शव के भाग का मजार बनाने के लिए किसी ऐसी कब्र या तहखाने को, जिसमें पहले से ही कोई शव रखा गया हो, दोबारा नहीं खोलेगा ;

(ञ) किसी शव या शव के भाग को किसी श्मशान में लाने या लिवा लाने के पश्चात् उसे उस स्थान पर लाने के छः घंटे के भीतर उसका अग्निदाह कराने या करवाने में न चूकेगा ;

(ट) किसी शव या शव के भाग को जलाते या जलवाते समय उसको या उसके किसी अंश को श्मशान अथवा उसके निकट बिना पूर्णतः भस्मीभूत हुए न रहने देगा अथवा ऐसे शव या शव के अंश के ले जाने अथवा अग्निदाह के लिए प्रयुक्त किसी वस्त्र या अन्य वस्तु को न तो वहाँ से हटाने देगा और न बिना पूर्ण रूप से भस्मीभूत हुए वहाँ रहने देगा।

४१९. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है—राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस आज्ञा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर, जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरीपर न हो, इस अध्याय की किसी धारा तथा तदन्तर्गत निर्मित

नियमावली के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में किये जायें, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वह क्षेत्र नगर के भीतर हो।

४२०. नियम बनाने का अधिकार—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धूल इत्यादि को जमा करने और एकत्र करने के लिए स्वामियों और अध्यासियों का उत्तरदायित्व ;

(ख) उन क्षेत्रों के, जो धारा ३६८ के अन्तर्गत न आते हों, अध्यासियों के ऐसे मल—मूत्र तथा दूषित वस्तुएँ, जो उसके भू—गृहादि में जमा हो जाया करती हों, ऐसे पात्रों आदि में, जिनकी व्यवस्था धारा ३८५ के अधीन की गई हो, एकत्र करने तथा हटाने का उत्तरदायित्व;

(ग) भू—गृहादि पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने वाले कूड़े—करकट और गन्दगी को हटाना;

(घ) (१) भू—गृहादि पर भवन—निर्माण संबंधी सामग्री एकत्र करने,

(२) भू—गृहादि पर दोषपूर्ण छतों या अन्य अस्वास्थ्यकर वस्तुओं ;

(३) निवास—स्थानों में पाकशाला के धुएँ तथा अन्य धुएँ और धूल इत्यादि ;

(४) पोखरे, दलदल, खाईं, तालाब, कुएँ, तड़ाग (pond), पत्थर की खानों के गड्ढे (quarry holes), नाली, जल—प्रणाली तथा जल संग्रह ;

(५) खतरनाक तालाब, कुएँ, गड्ढे इत्यादि ;

(६) पत्थरों की खतरनाक खानें खोदे जाने, तथा

(७) भू—गृहादि में दुर्गन्धयुक्त वस्तुएँ एकत्र करने से उत्पन्न अपदूषणों को हटाना;

(ङ) अस्वास्थ्यकर निजी जल—प्रणालियों, सोतों, तालाबों, कुओं इत्यादि का, जिनका जल पीने के काम में आता हो, साफ किया जाना ;

(च) नगर में पशुओं के रखने और उनके बाँधे जाने का विनिश्चयन ;

(छ) इंडियन ब्वाएलर्स ऐक्ट, १९२३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए फैक्ट्रियों, कारखानों या कार्य—स्थानों इत्यादि का सफाई सम्बन्धी विनियमन तथा तत्संबंधी सूचनाएँ देना;

(ज) धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का विनियमन तथा कपड़ा धोने के स्थानों की व्यवस्था ;

(झ) संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त पशुओं के बारे में सूचनाएँ देना;

(ञ) भयानक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए घरों तथा सार्वजनिक और निजी स्थानों का विसंक्रमण ;

(ट) सीटियों, तुरहियों और लाउडस्पीकरों तथा अन्य यंत्रचालित शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रतिषेध और विनियमन ;

(ठ) वृक्षों और झाड़ियों का हटाना, छाँटना तथा काटना।

———

ख१,. [2] उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

ख३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख४,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख६,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख७,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख्८,.	उ०प्र० अधिनियम सं० १४, १६५६ की धारा ७ द्वारा शब्द ''इण्डियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, १६११'' के स्थान पर रखा गया
ख्६,.	उ०प्र० अधिनियम सं० १२, १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख्१०,.	उ०प्र० अधिनियम सं० १२, १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख्११,.	उ०प्र० अधिनियम सं० १२, १६६४ की धारा २२ द्वारा खंड (क) बदल दिया गया
ख्१२,.	उ०प्र० अधिनियम सं० २१, १६६४ की धारा २२ द्वारा खंड (क) बदल दिया गया
*	कृपया देखें नवीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, १६७३ की तत्सम्बन्धी धारा